जिला पूर्वी

लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स मॉ अम्बे ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो0 श्री विकास कुमार, ग्राम+पो0+थाना–पकड़ीदयाल, जिला–पूर्वी चम्पारण, द्वारा बूढ़ी गंडक नदी के यूनिट–5 अन्तर्गत पकड़ीदयाल बालू घाट (मौजा+अंचल– पकड़ीदयाल), मधुबन–चकनिया बालू घाट (मौजा–अमवा, अंचल–चकिया), बारा बालू घाट (मौजा+अंचल–चकिया), लाल परसा बालू घाट (मौजा–लाल परसा एवं वेलैठ, अंचल–सुगौली), जिला–पूर्वी चम्पारण में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक– 13.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार, प्रखण्ड–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या SIA/BR/MIN/426400/2023, दिनांक 20.05.2023 के आलोक में श्री प्रमोद कुमार, जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 09 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0 एन0 ठाकुर क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा लोक सुनवाई के अध्यक्ष महोदय, खनिज विकास पदाधिकारी, लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय एवं पर्यावरण सलाहकार का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

सभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुधन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बूढ़ी गंडक नदी के यूनिट–5 अन्तर्गत पकड़ीदयाल बालु घाट (मौजा+अंचल–पकड़ीदयाल), मधुबन–चकनिया बालू घाट (मौजा–अमवा, अंचल–चकिया), बाराबालू घाट (मौजा+अंचल–चकिया), लाल परसा बालू घाट (मौजा–लाल परसा एवं वेलैठ, अंचल–सुगौली), जिला–पूर्वी चम्पारण में बालू खनन प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री विकास कुमार पिता श्री विनय कुमार को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। यह खनन पट्टा बूढ़ी गंडक यूनिट–5 से प्रतिवर्ष 1,11,780 घनमीटर या 1,63,199 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत 100.21 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालू घाट के बूढ़ी गंडक यूनिट–5 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अन्दर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्यकेवल 1 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बना कर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे–मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।

2

प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य पेड़ लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पॉच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।

8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निकासी किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणें के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। नदी से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र किया जाएगा। वहां से बालू (खनिज) से रिसने वाला जल, मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना है। बालू (खनिज) में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन को नियंत्रण करेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री मुकेश कुमार सिंह, ग्राम–ओझा टोला, चकिया– इनके द्वारा पूछा गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या–क्या उपाय किये जायेंगें।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि हॉल रोड (पहुँच पथ) पर आवश्यकता अनुसार टैंकर से प्रतिदिन 3–4 बार जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर लदे बालू को तीरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। पहुँच पथ के दोनो किनारे वृक्षारोपण कर विकास किया जायेगा।
2.	श्री रोहित कुमार, ग्राम–अहिरौलिया–सड़क पर जल छिड़काव एवं लगे पेड़ों का देख–रेख किनके द्वारा किया जायेगा।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन स्थल से मुख्य मार्ग तक के रास्ते में जल छिड़काव एवं लगाये गये पेड़ों का देख–रेख यथा नियमित सिंचाई संवेदक द्वारा किया जायेगा।
3.	श्री मुकेश कुमार चौधरी, ग्राम–लाल परसा, सुगौली– इनके द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि आज की लोक सुनवाई में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये नियमों एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी किये गये उपायों को संवेदक द्वारा पालन किया जाता है, तो हमलोगों को पर्यावरण संबंधी किसी भी प्रकार का असुविधा/समस्या होने की कोई सम्भावना नहीं है।	क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया कि बालू खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संवेदक को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ बालू खनन करने का अनुमति दी जायेगी, जिसका अनुपालन संवेदक द्वारा करना अनिवार्य होगा। सुनवाई के क्रम में संवेदक श्री विकास कुमार द्वारा उपस्थित जन समुदाय को आश्वासन दिया गया कि पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश एवं उपस्थित जन समुदाय के आशा के अनुरूप नियमों का

		पालन किया जायेगा। तत्पश्चात् उपस्थित जन समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से बालू खनन करने संबंधी अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त की गयी।

लोक–सुनवाई के क्रम में अपर समाहर्ता सह अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित निकासी से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं अनुपालन नहीं होने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को सुदृढ कराया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई धन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

14/9/2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
मुजफ्फरपुर।

14/9/2023

जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
पूर्वी चम्पारण।

उपस्थिति सूची

मेसर्स माँ अम्बे ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो0 श्री विकास कुमार, पिता श्री विनय कुमार, ग्राम + पो0 + थाना–पकड़ीदयाल, जिला–पूर्वी चम्पारण–845428 द्वारा बुढ़ी गड़क नदी के मौजा–पकड़ीदयाल, अंचल–पकड़ीदयाल, मौजा–अमवा, अंचल–चकिया, मौजा–चकिया, अंचल–चकिया, मौजा–लाल परसा एवं बेलैथ, अंचल–सुगौली (यूनिट–05 पकड़ीदयाल, मधुबन – चखनिया, बारा एवं लाल परसा बालू घाट क्षेत्रफल –18.63 हेक्टेयर) जिला–पूर्वी चम्पारण में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखंड सभागार, चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	प्रमोद कुमार	जिला परिवहन पदा०	[illegible] 13.9.[illegible]
2.	सम्पूर्णानंद ठाकुर	क्षे० पदा०, बि० रा० प्र० नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर	[illegible] 13.9.2023
3.	दिलीप कुमार	लिपिक जिला खनन कार्यालय, मोतिहारी	13/9/23
4.	रागिनी कुमारी	जिला खनन ~~पदाधिकारी~~ कार्यालय मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	[illegible] 13/9/23
5.	Shatrughan Prasad	Ocean- Enviro	S. Prasad 13.09.2023
6.	निरंजन प्रसाद	पकड़ी दयाल	निरंजन प्रसाद
7.	रामचन्द्र राय	सरायबनवारी	रामचन्द्र राय
8.	[illegible]	पकड़ी दयाल	[illegible]
9.	मोहन राय	नरहर पकड़ी	मोहन राय
10.	मुकेश कुमार चौधरी	लालपरसा	मुकेश कुमार चौधरी

11.	राजू कुमार	लालपारना (मुजफ्फरपुर)	राजू कुमार
12.	विकास	पकड़ी [illegible]	विकास
13.	विकास कुमार	फकीरमोहल्ला	Vikash Kum.
14.	अनिल कुमार	चकनियाँ	Anil Kum..
15.	प्रवीण कुमार	पकड़ी हसन	Praveen kr
16.	अजय शर्मा	पकड़ी [illegible]	AJAY SHARMA
17.	चन्दन कुमार	पकड़ी [illegible]	Chandan Kumar
18.	Mukesh Kr Singh	Ojha Tola	Mukesh [illegible]
19.	रोहित कुमार	चकिया	रोहित कुमार
20.	मुकेश कुमार सिंह	ओझा टोला	Mukesh
21.	मो० मेराज	चकिया	मो० मेराज
22.	रिंकी कुमार	पकड़ी [illegible]	रिंकी कुमार
23.	Lalbabu Kr	R.O. Office, Muz.	Lalbabu
24.	Rajkumar	चकिया	Rajkumar
25.	राजीव कुमार	चकिया	राजीव कुमार
26.	राममोहन कुमार	मधुबन	राम [illegible]

27.	प्रमोद कुमार	पचमिया	प्रमोद
28.	Amit kumar.	Pakaridayal.	Amit kumar
29.	रतनेश कुमार	ओमा पेला	Ratan
30.	भोला कुमार	पचकिया	Bhola
31.	दरोगा राय	अरालनगरवा	दरोगा राय
32.	लक्ष्मण राय	अरालनगरवा	लक्ष्मण राय
33.	सोहन कुमार	पचरुखिया मधुबन	सोहन
34.	आकाश कुमार	पकड़ी दयाल	आकाश कुमार
35.	निरंजन प्रसाद	पकड़ी दयाल	निरंजन प्रसाद
36.	विजय कुमार	मधुबन	विजय
37.	संजय कुमार	लखौरा	Sanjay
38.	महेश गिरी	मझौआ पकड़ीदयाल	महेश गिरी
39.	शिव शंकर गिरी	मझौआ पकड़ी दयाल	शिवशंकर गिरी
40.	संजय प्रसाद	सुगौली	संजय प्रसाद
41.		13/9/2023	
42.			